समाहरणालय, अररिया
(विधि प्रशाखा)

दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
Email ID : dm-araria.bih@nic.in

पत्रांक XVi-13/15-17 2474 / विधि

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
अररिया

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता, अररिया
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया
अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया / फारबिसगंज
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया / फारबिसगंज
जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया
कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया
कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, अररिया
प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम पत्र प्रशाखा, अररिया
श्रम अधीक्षक, अररिया
अग्रणी बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, अररिया
सभी अंचल अधिकारी, अररिया जिला

अररिया, दिनांक 23.10.17

विषय : दिनांक **09.12.2017**, दिन-शनिवार को **10.00 बजे पूर्वाह्न** में व्यवहार न्यायालय परिसर, अररिया में आयोजित **राष्ट्रीय लोक अदालत** के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया के पत्रांक 1029, दिनांक 17.10.2017 के क्रम में सूचित करते हुए कहना है कि दिनांक 09.12.2017, दिन-शनिवार को 10.00 बजे पूर्वाह्न में व्यवहार न्यायालय परिसर, अररिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना निर्धारित है, जिसमें राजस्व एवं अन्य वादों से संबंधित सुलहनीय मामलों का निष्पादन कराया जाना है।

अतः निदेश है कि दिनांक 09.12.2017, दिन-शनिवार को 10.00 बजे पूर्वाह्न में व्यवहार न्यायालय परिसर, अररिया में आयोजित **राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सुलहनीय प्रकृति के मामलों को चिन्हित करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर संबंधित अभिलेख के साथ निर्धारित तिथि को व्यवहार न्यायालय, अररिया के प्रांगण में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर** सुलहनीय वादों का निपटारा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित मामलों की प्रथम सूची दिनांक 31.10.2017 तक द्वितीय सूची दिनांक 14.11.2017 तक तथा अंतिम सूची दिनांक 30.11.2017 तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया के पत्रांक 1029, दिनांक 17.10.2017 की प्रतिलिपि मय अनुलग्नक संलग्न की जाती है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

23/x/17

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 2474/विधि, दिनांक 23.10.2017

प्रतिलिपि : अपर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से सम्पूर्ण जिले में गहन प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया को उनके पत्रांक 1029, दिनांक 17.10.2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

23/10/17

जिला पदाधिकारी,
अररिया